


| तारिख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 35/2022 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम कीतामिल में जारी हुए |
|---------------|---|--|
| 26.10.2023 | <p>प्रार्थी के वकील उपस्थित। चूंकि मूल निगरानी आवेदन आज निर्णित हो चुका है। ऐसी स्थिति में, हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p> अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही</p> | |

